छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 एवं 09 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शंकर ध्रुवा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित एलोपेथिक चिकित्सालय में दिनांक 7 से 9 मार्च, 2017 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं दिनांक 10 मार्च, 2017 को ग्लूकोमा एवं डायबिटिक रेटिनोपैथी आई चेक-अप एम.जी.एम. आई इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 के मध्य स्वास्थ्य परिक्षण शिविर एवं विशेष आई चेक-अप का लाभ लेवें।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा हाथियों के लगातार बढ़ते उत्पात से हो रही जानमाल की हानि पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस विषय पर किसी न किसी रूप में चर्चा करायेंगे।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिये) एवं पालन प्रतिवेदन,

(2) श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के पद (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16,

(3) श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016), तथा

(4) श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (1 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016), **पटल पर रखे।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सदस्य ने बिलासपुर जिले के चाटापारा में अरपा नदी पर एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्री उमेश पटेल, सदस्य ने कबीरधाम एवं रायगढ़ जिले में शिशुओं की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री नवीन मारकण्डेय
(3) श्री उमेश पटेल
(4) श्री सत्यनारायण शर्मा
(5) श्री दिलीप लहरिया

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती केराबाई मनहर, सदस्य ने याचिका समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्री दलेश्वर साहू
(3) श्री गिरवर जंघेल

9. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य के भाषण पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(1.36 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी भाई पटेल, धनेन्द्र साहू, श्याम बिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री भोलाराम साहू, (डॉ.) सनम जांगड़े, अमरजीत भगत, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, संतराम नेताम, नवीन मारकण्डेय,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में सायं 7.30 बजे तक की वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री संतोष उपाध्याय, दलेश्वर साहू, (डॉ.) खिलावन साहू, दीपक बैज, श्रीमती सरोजनी बंजारे, डॉ. प्रीतम राम, श्री अशोक साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, (जारी)

सायं 6.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 (फाल्गुन-17, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा